संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–1/2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

//आदेश//

थाना प्रभारी, थाना हबीबगंज भोपाल के पत्र कमांक/डी–325/2013 दिनांक 02.06.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री विवेकानंद मुखर्जी, क्षैत्रीय मूल्याकंन कार्यकर्ता, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल के विरूद्व थाना हबीबगंज में अपराध कमांक 236/2013 धारा 420,467,468,471,120 बी भादवि में पंजीबद्व किया जाकर श्री विवेकानंद मुखर्जी पिता श्री एस.सी.मुखर्जी उम्र 49 वर्ष निवासी जी 111/63 शिवाजी नगर, भोपाल को **दिनांक 30.05.2013 के 17.30 को गिरफ्तार किया गया** जिन्हें माननीय सी.जे.एम. न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया था। जिन्हें पुलिस व न्यायिक हिरासत में रहते हुये 48 घंटे से अधिक की अवधि हो चुकी थी।

श्री विवेकानंद मुखर्जी को 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रहने के कारण म.प्र.सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम–9 के उपनियम 2(क) के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के दिनांक से कार्यालयीन आदेश क्र. 4/कार्या.स्था/सेल–1/2013/959–60, दिनांक 06.06.2013 द्वारा निलंबित किया गया था ।

उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय–दशम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भोपाल के प्रकरण क्र. 824/13 संस्थापन दिनांक–20.11.2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2018 द्वारा श्री विवेकानन्द मुखर्जी, क्षैत्रीय मूल्याकंन कार्यकर्ता, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को एवं अन्य विभाग के दो कर्मचारियों के विरूद्ध धारा 120, 420/120 बी, 467/120बी, 468/120 बी, 471/120बी भा.द.स. एवं 66 ए.सी. सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 के अपराध के आरोपो से दोषमुक्त किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय–दशम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भोपाल के प्रकरण क्र. 824/13 संस्थापन दिनांक–20.11.2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2018 द्वारा श्री विवेकानन्द मुखर्जी स्थानीय कार्यालय को दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री मुखर्जी को निलंबन से बहाल किया जाता है। किन्तु यदि उपरोक्त न्यायालय निर्णय के विरूद्ध अपील की जाती है तो यह निलंबन से बहाली उस अपील के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी। निलंबन अवधि का निराकरण पृथक से किया जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–1/2018/1739 भोपाल, दिनांक 04/09/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
4. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
5. अपर संचालक(वित्त), स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल ।
7. थाना प्रभारी, थाना हबीबगंज, भोपाल ।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
9. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
10. निज सहायक, अपर संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय ।
11. श्री विवेकानंद मुखर्जी, एफ.ई.डब्ल्यू., निवास जी 111/63 शिवाजी नगर, भोपाल ।
12. प्रभारी, एम.आई.एस. स्था .कार्यालय की ओर उपरोक्त आदेश विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सेल–3, कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय सेवा पुस्तिका में प्रविष्टी हेतु ।
13. आदेश नस्ती ।

5/9/18
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

04 SEP 2018

Order Scn-2018